

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 669

दिनांक 22.07.2021को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

669. श्री संजय सदाशिव मांडलिक:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री चन्द्र शेखर साहू:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री मनोज तिवारी:

श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) जलापूर्ति तक पहुँच का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) इन वर्षों के दौरान जलापूर्ति तक पहुँच में सुधार के लिए निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इन वर्षों के दौरान किस सीमा तक ये लक्ष्य प्राप्त किए गए?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): अगस्त, 2019 से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शामिल किए जाने के बाद, भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में वर्ष 2024 तक हर

ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

(ग): जैसाकि राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचना दी गई है, दिनांक 19.07.2021 की स्थिति के अनुसार, 79.12% ग्रामीण बस्तियों में उचित दूरी पर उपलब्ध स्रोतों के साथ पीने योग्य जल की न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) का प्रावधान है जबकि 18.07% ग्रामीण बस्तियों में शुद्ध पेयजल का 40 एलपीसीडी से कम का जल सेवा स्तर का प्रावधान है। तथापि, 2.81% ग्रामीण बस्तियों में पेयजल स्रोतों में जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं।

(घ): वर्ष 2018-19 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत तथा वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में जेजेएम के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ): 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 3.23 करोड़ घरों (17%) में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना मिली थी। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्य संबंधी दिशा-निर्देश 25 दिसंबर, 2019 को जारी किए गए थे और तब से, ग्रामीण परिवारों की आयोजना और दिए गए नल के पानी के कनेक्शन का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष (समयसीम)	घरों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है		संचयी उपलब्धि	
	% में	संख्या करोड़ में	% में	संख्या करोड़ में
31.03.2020	21	3.98	21.43	4.06
31.03.2021	34	6.44	38.48	7.29
31.03.2022	54	10.24	40.89	*7.76

* 19.07.2021 की स्थिति के अनुसार

दिनांक 22.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर में
उल्लिखित अनुबंध

एनआरडीडब्ल्यूपी: 2018-19 में आबंटित, जारी और रिपोर्ट की गई निधि का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय शेषर					राज्य अंश के तहत व्यय
		जमा शेष	आबंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार	1.05	0.62	0.31	1.36	1.36	4.85
2.	आंध्र प्रदेश	26.17	197.56	185.85	212.02	186.28	167.61
3.	अरुणाचल प्रदेश	12.54	96.95	90.89	103.43	97.21	13.25
4.	असम	394.85	567.89	300.76	695.61	336.25	26.68
5.	बिहार	226.79	476.63	234.84	461.63	148.48	211.3
6.	छत्तीसगढ़	26.81	95.47	48.19	75	43.41	36.62
7.	गोवा	1.4	3.34	1.67	3.07	3.07	2.83
8.	गुजरात	1.15	237.09	222.27	223.42	223.42	495.41
9.	हरियाणा	29.86	81.88	76.76	104.61	94.48	93.18
10.	हिमाचल प्रदेश	0.01	91.12	85.43	85.44	85.43	24.17
11.	जम्मू और कश्मीर	37.78	309.07	249.34	287.12	251.88	19.63
12.	झारखंड	126.15	207.97	85.12	212.51	136.73	100.93
13.	कर्नाटक	184.5	331.04	276.06	460.56	433.95	798.62
14.	केरल	2.34	90.37	84.86	87.2	84.62	83.48
15.	मध्य प्रदेश	8.08	274.09	243.62	251.7	250.43	306.29
16.	महाराष्ट्र	267.46	474.16	239.06	506.52	258.4	395.86
17.	मणिपुर	27.37	40.25	37.73	65.1	65.11	7.86
18.	मेघालय	0.35	52.43	49.15	49.5	48.71	5.23
19.	मिजोरम	20.31	28	26.25	46.59	46.46	5.12
20.	नागालैंड	0	34.72	17.36	17.36	17.36	2.49
21.	ओडिशा	42.86	154.99	128.82	173.23	172.45	221.92
22.	पुदुचेरी	1.27	1.29	एनडी	1.27	एनआर	एनआर
23.	पंजाब	96.28	125.97	119.41	215.69	112.78	106.29
24.	राजस्थान	536.75	692.13	655.41	1,192.16	878.48	887.05
25.	सिक्किम	10.85	11.62	10.89	21.89	21.06	4.02
26.	तमिलनाडु	0.68	180.99	167.31	170.41	168.92	363.02
27.	तेलंगाना	294.3	131.4	123.18	425.37	420.9	294.23
28.	त्रिपुरा	48.58	55.18	51.73	102.82	53.88	7.98
29.	उत्तर प्रदेश	113.65	713.95	670.72	813.4	755.08	604.49
30.	उत्तराखंड	5	99.17	92.97	97.97	91.85	32.91
31.	पश्चिम बंगाल	418.02	917.82	890.28	1308.3	547.47	362.38

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी:आहरित नहीं

एनआर: सूचना नहीं दी गई

दिनांक 22.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल जीवन मिशन: 2019-20 में आवंटित, जारी और रिपोर्ट किए गए उपयोग का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय शेयर					राज्य अंश के तहत व्यय
		जमा शेष	आवंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.78	0.50	0.50	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	54.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	126.14	13.35
4.	असम	359.35	694.95	442.36	801.71	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	37.55
7.	गोवा	0.00	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
8.	गुजरात	0.00	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
9.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.80
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	148.67	205.83	205.83	197.87	15.46
11.	जम्मू और कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
12.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	366.98	114.58	119.71
13.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	492.24	297.87
14.	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
15.	लद्दाख	8.10	166.65	67.86	75.96	एनआर	0.65
16.	मध्य प्रदेश	1.26	571.60	571.60	572.86	326.65	288.75
17.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	428.14
18.	मणिपुर	0.00	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
19.	मेघालय	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
20.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
21.	नागालैंड	0.00	56.49	56.49	56.49	23.54	4.67
22.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	275.02	255.02
23.	पुदुचेरी	1.27	2.50	एनडी	1.27	0.97	एनआर
24.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
25.	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.7	1,615.38	620.31	698.54
26.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	26.99	14.71	1.48
27.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.10	374.59	114.58	99.14
28.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	110.00	88.33	74.46
29.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	194.31	59.45	6.46
30.	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.1	1,571.47	639.32	380.10
31.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
32.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	445.03

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी:आहरित नहीं

एनआर: सूचना नहीं दी गई

दिनांक 22.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल जीवन मिशन :2020-21 में आवंटित, जारी और रिपोर्ट किए गए उपयोग का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय शेयर					राज्य अंश के तहत व्यय
		जमा शेष	आबंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.50	2.93	1.46	1.96	1.45	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	427.73	180.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.56	254.85	344.85	402.41	392.43	32.05
4.	असम	452.45	1,608.5	551.77	1004.22	880.44	90.02
5.	बिहार	257.18	1,839.1	353.6	610.78	551.82	374.42
6.	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	392.31	223.8	221.1
7.	गोवा	0	12.41	6.2	6.2	2.99	13.49
8.	गुजरात	5.7	883.08	983.08	988.78	838.5	883.43
9.	हरियाणा	90.8	289.52	72.38	163.18	130.94	120.17
10.	हिमाचल प्रदेश	7.95	326.2	547.48	555.43	329.01	42.25
11.	जम्मू और कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
12.	झारखंड	268.39	572.24	143.06	411.45	286.62	177.73
13.	कर्नाटक	80.42	1,189.4	446.36	526.78	349.62	416.38
14.	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
15.	लद्दाख	75.96	352.09	एनडी	75.96	9.43	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.1	960.09	1206.3	1,014.70	875.99
17.	महाराष्ट्र	285.35	1,828.9	457.23	742.58	473.59	324.16
18.	मणिपुर	62.96	131.8	141.8	204.76	189.14	18.52
19.	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.38	188.3	20.44
20.	मिजोरम	30.77	79.3	104.3	135.07	107.9	10.13
21.	नागालैंड	34.9	114.09	85.57	120.47	91.95	10.0
22.	ओडिशा	90.5	812.15	609.11	699.61	688.69	673
23.	पुदुचेरी	0.3	4.64	1.06	1.36	0.2	1.0
24.	पंजाब	257.1	362.79	एनडी	257.1	146.74	104.95
25.	राजस्थान	995.07	2,522.0	630.51	1625.58	762.04	789.05
26.	सिक्किम	12.3	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
27.	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.97	399.57
28.	तेलंगाना	31.1	412.19	82.71	113.81	61.17	133.98
29.	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	253.92	195	22.26
30.	उत्तर प्रदेश	932.16	2,570.9	1,295.4	2227.63	1,761.06	886.94
31.	उत्तराखंड	66.6	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
32.	पश्चिम बंगाल	1,146.5	1,614.1	807.08	1953.66	1,196.07	641.17

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

एनडी:आहरित नहीं

एनआर: सूचना नहीं दी गई

दिनांक 22.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल जीवन मिशन: 2021-22 में आवंटित, जारी और रिपोर्ट किए गए उपयोग का विवरण
(19.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय शेयर					राज्य अंश के तहत व्यय
		जमा शेष	आवंटित निधि	जारी निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	146.65	3,182.88	एनडी	146.65	7.79	6.3
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.98	1,013.53	253.38	263.36	59.73	8.86
4.	असम	123.78	5,601.16	1,400.2	1,532.37	281.8	37.7
5.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	58.95	एनआर	18.11
6.	छत्तीसगढ़	168.52	1,908.96	453.71	625.38	5.81	8.64
7.	गोवा	3.21	45.53	11.38	14.59	3.12	3.12
8.	गुजरात	150.28	3,410.61	852.65	1,002.93	309.08	312.22
9.	हरियाणा	32.24	1,119.95	256.81	289.05	2.47	51.25
10.	हिमाचल प्रदेश	226.42	1,262.78	315.7	542.12	445.62	49.8
11.	जम्मू और कश्मीर	113.96	2,747.17	एनडी	113.96	0.02	NR
12.	झारखंड	137.93	2,479.88	एनडी	137.93	14.63	15.46
13.	कर्नाटक	177.16	5,008.80	1,252.2	1,429.36	154.22	192.02
14.	केरल	40.07	1,804.59	451.15	491.88	112.74	123.77
15.	लद्दाख	66.52	1,429.96	एनडी	66.52	एनआर	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	1,184.8	1,376.47	335.61	334.71
17.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	एनडी	268.99	29.7	49.13
18.	मणिपुर	15.62	481.19	120.3	135.92	122.08	8.37
19.	मेघालय	15.06	678.39	169.6	184.66	29.65	10.36
20.	मिजोरम	27.17	303.89	75.97	103.14	23.7	एनआर
21.	नागालैंड	28.52	444.81	111.2	139.72	23.29	एनआर
22.	ओडिशा	10.93	3,323.42	830.85	841.78	105.47	131.65
23.	पुदुचेरी	1.18	30.22	एनडी	1.18	एनआर	एनआर
24.	पंजाब	110.36	1,656.39	एनडी	110.36	24.42	15.19
25.	राजस्थान	863.53	10,180.5	एनडी	863.53	115.4	139.33
26.	सिक्किम	8.29	124.79	31.2	39.49	7.09	एनआर
27.	तमिलनाडु	377.48	3,691.21	614.35	998.83	66.11	80.55
28.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	55.15	NR	2.93
29.	त्रिपुरा	61.51	614.09	142.91	204.42	86.87	5.55
30.	उत्तर प्रदेश	466.56	10,870.5	एनडी	466.56	447.68	279.93
31.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	360.95	472.17	139.23	16.4
32.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	एनडी	757.58	एनआर	एनआर

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एनडी:आहरित नहीं एनआर: सूचना नहीं दी गई